राजेश कुमार भा.प्र.से., आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा की अध्यक्षता में दिनांक 30.01.2026 (शुक्रवार) को 05:00 बजे अपराह्न में प्रमंडलीय सभागार में आयोजित राजस्व (आंतरिक संसाधन/राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग) से संबंधित प्रमंडलीय समन्वय की बैठक की कार्यवाही :-

उपस्थिति :- पंजी के अनुसार।

सर्वप्रथम प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों का स्वागत किया गया। तदोपरांत बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गयी। क्रमिक रूप से सभी विभागों एवं पदाधिकारियों की समीक्षा की गयी। विभागवार राजस्व संग्रहण की स्थिति निम्नवत पायी गयी :-

1. वाणिज्य कर

(राशि लाख में)

क्र0	जिला	कुल वार्षिक लक्ष्य	इस माह तक का लक्ष्य	इस माह तक की उपलब्धि	इस माह तक लक्ष्य के विरूद्ध उपलब्धि का प्रतिशत	वार्षिक लक्ष्य के विरूद्ध उपलब्धि का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1	सहरसा	18500.00	13178.00	10796.00	81.92%	58.36%
2	मधेपुरा	15000.00	1040.00	725.00	69.71%	49.66%
3	सुपौल	20500.00	15347.00	13073.00	85.18%	63.77%
कुल-		54000.00	29565.00	24594.00	78.94%	57.26%

वार्षिक लक्ष्य के विरूद्ध 28.02.2026 तक कम से कम 85% उपलब्धि प्राप्त करने का निदेश दिया गया। प्रमंडलान्तर्गत जिलों में वाणिज्यकर से राजस्व संग्रहण की स्थिति असंतोषप्रद पायी गयी। निदेश दिया गया कि रिटर्न फाईल न करने वाले निबंधित संस्थानों को नोटिस निर्गत किया जाय। रिटर्न फाईल न करने वाले निबंधित संस्थानों की सूची अलग से तैयार कर लगातार उनका अनुश्रवण करें। सभी बड़े कोचिंग संस्थानों, मैरेज हॉल, निजी अस्पताल एवं अन्य सेवा क्षेत्र से संबंधित संस्थानों को निबंधित करते हुए उनसे कर वसूली सुनिश्चित किया जाय। इसके अलावा, बड़े बकायेदारों के विरूद्ध कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

क. नीलाम पत्रवाद (वाणिज्य कर)

क्र0	जिला	अद्यतन लंबित नीलाम पत्रवाद	सन्निहित राशि	01.01.2025 से अबतक निष्पादित नीलाम पत्रवाद	वसूली
1	सहरसा	-	-	-	28.34
2	मधेपुरा	22	17.41	-	सर्वश्री H.L Trading से 7.22 लाख की वसूली की गई
3	सुपौल	Nil	Nil	Nil	Nil

सुपौल जिला में नीलाम पत्रवाद की वसूली शून्य पाई गई जो अत्यंत चिंताजनक है, इसमें अविलंब सुधार लाने का निदेश दिया गया।

2. परिवहन

(राशि लाख में)

क्र0	जिला/कार्यालय	कुल वार्षिक लक्ष्य	इस माह तक का लक्ष्य	इस माह तक की उपलब्धि	इस माह तक लक्ष्य के विरूद्ध उपलब्धि का प्रतिशत	वार्षिक लक्ष्य के विरूद्ध उपलब्धि का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1	सहरसा	6015.00	4456.00	3865.00	86.74%	64.26%
2	मधेपुरा	6100.00	4517.00	3208.23	71.03%	53.00%

3	सुपौल	6300.00	4662.00	4575.98	98.15%	72.63%
4	क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार	75.00	56.25	24.90	44.26%	33.20%

वार्षिक लक्ष्य के विरूद्ध 28.02.2026 तक कम से कम 85% उपलब्धि प्राप्त करने का निदेश दिया गया।

परिवहन विभाग की समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि जिला परिवहन पदाधिकारी मधेपुरा एवं क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार की प्रगति असंतोषजनक है।

यह भी निदेशित किया गया कि परिवहन के बकाये राशि की वसूली से संबंधित जितने भी नीलाम पत्र वाद दायर हैं, उनका ससमय निष्पादन सुनिश्चित किया जाय। बड़े बकायेदार के विरूद्ध हर माह में प्रत्येक थानास्तर से कम से कम 10 वारंट जारी कर निष्पादित किया जाय, ताकि विभागीय राजस्व संग्रह में वृद्धि हो सके। विभागीय पदाधिकारी को माहवार लक्ष्य के विरूद्ध वसूली का निदेश दिया गया। तथा सहरसा जिला में ड्राईवर ट्रेनिंग स्कूल हेतु अपर समाहर्त्ता, सहरसा द्वारा बताया गया कि 10 एकड़ की भूमि गोबरगढ़ा में चिन्हित कर ली गई है। इस संबंध में भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया अविलंब करने का निदेश दिया गया।

3. खनन

(राशि लाख में)

क्र0	जिला	कुल वार्षिक लक्ष्य	इस माह तक का लक्ष्य	इस माह तक की उपलब्धि	इस माह तक लक्ष्य के विरूद्ध उपलब्धि का प्रतिशत	वार्षिक लक्ष्य के विरूद्ध उपलब्धि का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1	सहरसा	3479.18	1738.89	1576.90	90.68%	45.32%
2	मधेपुरा	2762.16	828.64	854.57	91.85%	30.94%
3	सुपौल	4607.03	2303.40	1931.90	83.87%	41.93%

वार्षिक लक्ष्य के विरूद्ध 28.02.2026 तक कम से कम 85% उपलब्धि प्राप्त करने का निदेश दिया गया। लंबित सैरात के शीघ्र बन्दोबस्ती किया जाए। विभागीय वसूली किसी भी स्थिति में विगत वर्ष के वसूली/सुरक्षित जमा से 110% से अन्युन्य न हो। कम विभागीय वसूली की स्थिति में संबंधित पदाधिकारी के विरूद्ध कार्रवाई की जाए। जो इनके Service Book/PAR में अंकित किया जाए।

4. निबंधन

(राशि लाख में)

क्र0	जिला	कुल वार्षिक लक्ष्य	इस माह तक का लक्ष्य	इस माह तक की उपलब्धि	इस माह तक लक्ष्य के विरूद्ध उपलब्धि का प्रतिशत	वार्षिक लक्ष्य के विरूद्ध उपलब्धि का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1	सहरसा	16039.00	11822.00	8945.57	75.67%	57.57%
2	मधेपुरा	526258.00	44704.00	7252.00	67.23%	37.26%
3	सुपौल	12499.00	9150.00	7140.96	78.04%	57.13%

वार्षिक लक्ष्य के विरूद्ध 28.02.2026 तक कम से कम 85% उपलब्धि प्राप्त करने का निदेश दिया गया। सभी जिला पदाधिकारी अगले एक माह में जिला अवर निबंधन कार्यालय का निरीक्षण अवश्य करें। सहायक महानिरीक्षक निबंधन, कोशी प्रमंडल, सहरसा को निदेश दिया गया कि अंचलों से प्राप्त Sale deed सत्यापन से संबंधित लंबित मामलों का निष्पादन अविलम्ब किया जाय। ताकि आम जनों को अनावश्यक रूप से असुविधा का सामना न करना पड़े।

क. नीलाम पत्रवाद (निबंधन विभाग)

क्र0	जिला	अद्यतन लंबित नीलाम पत्रवाद	सन्निहित राशि	01.01.2025 से अबतक निष्पादित नीलाम पत्रवाद	वसूली
1	सहरसा	55	9636128.00	0	0

2	मधेपुरा	20216	28933.00	1796.00	31738.02
3	सुपौल	96	227.21	1.00	0.17

मधेपुरा जिला को छोड़कर सभी जिलों में नीलाम पत्र वाद की वसूली शून्य पाई गई जो अत्यंत चिंताजनक है, इसमें अविलंब सुधार लाने का निदेश दिया गया। यह भी निदेशित किया गया कि निबंधन के बड़े बकायेदार की सूची बनाकर प्राथमिकता के आधार पर राशि वसूली की कार्रवाई की जाय।

5. भू-लगान

(राशि लाख में)

क्र0	जिला	कुल वार्षिक लक्ष्य	इस माह तक का लक्ष्य	इस माह तक की उपलब्धि	इस माह तक लक्ष्य के विरूद्ध उपलब्धि का प्रतिशत	वार्षिक लक्ष्य के विरूद्ध उपलब्धि का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1	सहरसा	1550.00	930.00	336.63	36.20%	21.27%
2	मधेपुरा	1550.00	0	1012	-	65%
3	सुपौल	1850.00	1110.00	383.20	34.52%	21%

वार्षिक लक्ष्य के विरूद्ध 28.02.2026 तक कम से कम 85% उपलब्धि प्राप्त करने का निदेश दिया गया। भू-लगान वसूली सहरसा जिला में 21.27 प्रतिशत एवं सुपौल जिला में 21 प्रतिशत है, जो काफी कम है। इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

संबंधित सभी पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि अभियान बसेरा-2, परिमार्जन प्लस, जमाबंदी के आधार लिंकिंग, सरकारी जमीन के जमाबंदी रद्दीकरण तथा सैरात बंदोबस्ती की नियमित रूप से समीक्षा करेंगे। यह पाया गया है कि अंचल अधिकारी के स्तर से अपने नियमित कार्य में आवश्यक गंभीरता का अभाव है। परिमार्जन प्लस के तहत अस्वीकृत आवेदनों पर कारण सहित आदेश अंकित करेंगे। इसी प्रकार दाखिल खारिज के अस्वीकृत मामलों में भी सकारण आदेश निर्गत करेंगे।

6. सैरात (राजस्व प्राप्ति)

(राशि लाख में)

क्र0	जिला	कुल वार्षिक लक्ष्य	इस माह तक का लक्ष्य	इस माह तक की उपलब्धि	इस माह तक लक्ष्य के विरूद्ध उपलब्धि का प्रतिशत	वार्षिक लक्ष्य के विरूद्ध उपलब्धि का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1	सहरसा	6949250	-	6949250	-	100%
2	मधेपुरा	20342328	15099950	5270352	135%	74%
3	सुपौल	29.31	17.58	21.85	124.28%	74.54%

वार्षिक लक्ष्य के विरूद्ध 28.02.2026 तक कम से कम 85% उपलब्धि प्राप्त करने का निदेश दिया गया। मधेपुरा जिला में 74 प्रतिशत एवं सुपौल जिला में 74.54 प्रतिशत है, जो कम है। समाहर्त्ता, मधेपुरा एवं सुपौल को निदेश दिया जाता है कि इसकी समीक्षा कर ली जाय।

क. सैरात

क्र0	जिला	कुल सैरात	बंदोबस्त सैरात	वार्षिक लक्ष्य	वसूली
1	सहरसा	3	3	6949250	6949250
2	मधेपुरा	9	4	20342328	5270352
3	सुपौल	3	1	29.31	21.85

सभी अपर समाहर्त्ता को निदेशित किया जाता है कि लंबित सैरातों का शीघ्र बन्दोबस्ती सुनिश्चित किया जाए। विभागीय वसूली किसी भी स्थिति में विगत वर्ष के वसूली/सुरक्षित जमा से 110% से अन्युन्य न हो। कम विभागीय वसूली की स्थिति में संबंधित पदाधिकारी के विरूद्ध कार्रवाई की जाए। जो इनके Service Book/PAR में अंकित किया जाए।

ख. नीलाम पत्रवाद (सैरात)

क्र0	जिला	अद्यतन लंबित नीलाम पत्रवाद	सन्निहित राशि	01.01.2025 से अबतक निष्पादित नीलाम पत्रवाद	वसूली
1	सहरसा	0	0.00	0	0
2	मधेपुरा	0	0.00	0	0
3	सुपौल	0	0.00	0	0

सहरसा, मधेपुरा एवं सुपौल जिला का सैरात से संबंधित नीलाम पत्रवाद का प्रतिवेदन शून्य है। सभी अपर समाहर्त्ता को निदेशित किया जाता है कि सैरात से संबंधित नीलाम पत्र की समीक्षा कर लिया जाय तथा व्यक्तिगत अभिरूची लेते हुए राशि वसूली की कार्रवाई करें।

7. नगर निगम/परिषद

(राशि लाख में)

क्र0	जिला	कुल वार्षिक लक्ष्य	इस माह तक का लक्ष्य	इस माह तक की उपलब्धि	इस माह तक लक्ष्य के विरूद्ध उपलब्धि का प्रतिशत	वार्षिक लक्ष्य के विरूद्ध उपलब्धि का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1	सहरसा	464.59	348.39	279	80.00%	60.00%
2	मधेपुरा	318.8	212-5	124.3	58.51%	39.04%
3	सुपौल	488.10	366.07	281.08	76.78%	57.58%

वार्षिक लक्ष्य के विरूद्ध 28.02.2026 तक कम से कम 85% उपलब्धि प्राप्त करने का निदेश दिया गया।

क. सैरात (नगर निगम/परिषद)

क्र0	जिला	कुल सैरात	बंदोबस्त सैरात	वार्षिक लक्ष्य	वसूली
1	सहरसा	-	-	6949250	6949250
2	मधेपुरा	08	05	9236100	8400680
3	सुपौल	20	18	202.44	172.07

सभी नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी को निदेशित किया जाता है कि लंबित सैरातों का शीघ्र बन्दोबस्ती सुनिश्चित किया जाए। विभागीय वसूली किसी भी स्थिति में विगत वर्षों के वसूली/सुरक्षित जमा से 110% से अन्युन्य न हो।

ख. नीलाम पत्रवाद (नगर निगम/परिषद)

क्र0	जिला	अद्यतन लंबित नीलाम पत्रवाद	सन्निहित राशि	01.01.2025 से अबतक निष्पादित नीलाम पत्रवाद	वसूली
1	सहरसा	0	0	0	0
2	मधेपुरा	0	0	0	0
3	सुपौल	130	101.61	0	0

सभी जिलों में नीलाम पत्रवाद की वसूली शून्य पाई गई जो अत्यंत चिंताजनक है। संबंधित पदाधिकारियों को नीलाम पत्रवाद से संबंधित लंबित मामलों की पुनः समीक्षा कर त्वरित आवश्यक कार्रवाई करते हुए प्रगति लाने का निदेश दिया गया।

8. माप-तौल

(राशि लाख में)

क्र0	जिला	कुल वार्षिक लक्ष्य	इस माह तक का लक्ष्य	इस माह तक की उपलब्धि	इस माह तक लक्ष्य के विरूद्ध उपलब्धि का प्रतिशत	वार्षिक लक्ष्य के विरूद्ध उपलब्धि का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1	सहरसा	69.00	48.30	35.03	72.53%	50.77%
2	मधेपुरा	103.688	4.361	40.62	45.3%	41.2%
3	सुपौल	100.87	70.61	51.01	72.24%	50.57%

वार्षिक लक्ष्य के विरूद्ध 28.02.2026 तक कम से कम 85% उपलब्धि प्राप्त करने का निदेश दिया गया।

9. विद्युत

(राशि लाख में)

क्र0	जिला	कुल वार्षिक लक्ष्य	इस माह तक का लक्ष्य	इस माह तक की उपलब्धि	इस माह तक लक्ष्य के विरूद्ध उपलब्धि का प्रतिशत	वार्षिक लक्ष्य के विरूद्ध उपलब्धि का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1	सहरसा	23145.2	17065.25	12905.38	73.53%	54.41%
2	मधेपुरा	19844.76	13229.84	8681.93	57.55%	43.75%
3	सुपौल	22788.00	15192.00	9968.02	65.61%	43.74%

वार्षिक लक्ष्य के विरूद्ध 28.02.2026 तक कम से कम 85% उपलब्धि प्राप्त करने का निदेश दिया गया। बैठक में विधुत अभियंता, सहरसा द्वारा बताया गया कि Conductor theft एवं ट्रांसफॉर्मर से तेल चोरी का मामला जिले के वैधनाथपुर एवं सौरबाजार के ईलाके में हो रही है। थाने में प्राथमिकी दर्ज करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तथा विधुत अभियंता, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि उक्त घटनाऐं मधेपुरा जिले के सिंहेश्वर, गम्हरिया एवं घैलाढ़ प्रखंड क्षेत्र में भी घटित हो रही हैं। अतः संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक इस मामलों की सतत अनुश्रवण करते हुए संबंधित क्षेत्र के थानाध्यक्ष को आवश्यक निदेश देना सुनिश्चित करेंगे। इसके लिए अलग से पत्र भेजने का निदेश कार्यालय को दिया जाता है।

10. सहकारिता

(राशि लाख में)

क्र0	जिला	कुल वार्षिक लक्ष्य	इस माह तक का लक्ष्य	इस माह तक की उपलब्धि	इस माह तक लक्ष्य के विरूद्ध उपलब्धि का प्रतिशत	वार्षिक लक्ष्य के विरूद्ध उपलब्धि का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1	सहरसा	986000.00	738000.00	294400.00	39.89%	29.85%
2	मधेपुरा	1608503.00	1206377.25	1467211.00	121.62%	91.22%
3	सुपौल	2340000.00	1833333.00	775975.00	34.68%	28.90%

सहरसा जिला में 29.85 प्रतिशत एवं सुपौल जिला में 28.90 प्रतिशत है, जो काफी कम है। जिला सहकारिता पदाधिकारी, सहरसा एवं सुपौल से स्पष्टीकरण पुछा जाए।

क. नीलाम पत्रवाद (सहकारिता)

क्र0	जिला	अद्यतन लंबित नीलाम पत्रवाद	सन्निहित राशि	01.01.2025 से अबतक निष्पादित नीलाम पत्रवाद	वसूली
1	सहरसा	534	107172658.80	534	0.00

2	मधेपुरा	13	46625960.75	1	11,35,000.00
3	सुपौल	14	36588511.00	1	3627985.00

सहरसा जिला की वसूली अत्यंत ही खराब है। जिला सहकारिता पदाधिकारी, सहरसा से स्पष्टीकरण पूछा जाए।

11. कृषि

(राशि लाख में)

क्र0	जिला	कुल वार्षिक लक्ष्य	इस माह तक का लक्ष्य	इस माह तक की उपलब्धि	इस माह तक लक्ष्य के विरूद्ध उपलब्धि का प्रतिशत	वार्षिक लक्ष्य के विरूद्ध उपलब्धि का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1	सहरसा	-	-	5.77	-	-
2	मधेपुरा	0	91190	2294671	-	-
3	सुपौल	0	0	6.60	0	0

विभागीय पदाधिकारी को माह-वार लक्ष्य के विरूद्ध वसूली का निदेश दिया गया। जिला कृषि पदाधिकारी, सहरसा, मधेपुरा एवं सुपौल से स्पष्टीकरण पूछा जाय।

12. मत्स्य

(राशि लाख में)

क्र0	जिला	कुल वार्षिक लक्ष्य	इस माह तक का लक्ष्य	इस माह तक की उपलब्धि	इस माह तक लक्ष्य के विरूद्ध उपलब्धि का प्रतिशत	वार्षिक लक्ष्य के विरूद्ध उपलब्धि का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1	सहरसा	63.916	47.936	38.289	79.87%	59.905%
2	मधेपुरा	33.167	24.87	20.45	82.22%	61.65%
3	सुपौल	19.3495	14.51	10.03	69.12%	51.836%

वार्षिक लक्ष्य के विरूद्ध 28.02.2026 तक कम से कम 85% उपलब्धि प्राप्त करने का निदेश दिया गया।

क. सैरात (मत्स्य)

क्र0	जिला	कुल सैरात	बंदोबस्त सैरात	वार्षिक लक्ष्य	वसूली
1	सहरसा	301	293	63.916	38.289
2	मधेपुरा	210	157	33.167	18.82
3	सुपौल	218	208	19.3495	10.03

वार्षिक लक्ष्य के विरूद्ध 28.02.2026 तक कम से कम 85% उपलब्धि प्राप्त करने का निदेश दिया गया। कम वसूली के लिए जिला मत्स्य पदाधिकारी, सहरसा, मधेपुरा एवं सुपौल से स्पष्टीकरण पुछा जाए। उप निदेशक, मत्स्य, कोशी प्रमंडल द्वारा बताया गया कि सहरसा में 02 सैरात का बंदोबस्त नहीं हो पाया है। जिसका Open डाक के माध्यम से बंदोबस्ती का प्रयास किया जा रहा है। तथा सुपौल के त्रिवेणीगंज मत्स्यजीवी सहयोग समिति अवक्रमित है। संयुक्त निबंधक, सहकारिता एवं उप निदेशक मत्स्य आपस में बैठक कर इस तरह के मामलों का निपटारा करना सुनिश्चित करेंगे।

ख. नीलाम पत्रवाद (मत्स्य)

क्र0	जिला	अद्यतन लंबित नीलाम पत्रवाद	सन्निहित राशि	01.01.2025 से अबतक निष्पादित नीलाम पत्रवाद	वसूली
1	सहरसा	1	1.642	0	0

2	मधेपुरा	0	0	0	0
3	सुपौल	62	4.932	0	0

नीलाम पत्र वादों में अभिरूची लेने का निदेश विभागीय पदाधिकारी को दिया जाता है।

13. वन विभाग

(राशि लाख में)

क्र0	जिला	कुल वार्षिक लक्ष्य	इस माह तक का लक्ष्य	इस माह तक की उपलब्धि	इस माह तक लक्ष्य के विरूद्ध उपलब्धि का प्रतिशत	वार्षिक लक्ष्य के विरूद्ध उपलब्धि का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1	सहरसा	140.00	73.35	136.20	185.70	97.29
2	मधेपुरा	-	-	-	-	-
3	सुपौल	34.00	24.50	27.80	113	81.88

वार्षिक लक्ष्य के विरूद्ध 28.02.2026 तक कम से कम 85% उपलब्धि प्राप्त करने का निदेश दिया गया। वन प्रमंडल पदाधिकारी, सहरसा का कार्य संतोषप्रद है।

14. नीलाम पत्रवाद (मद्य निषेध एवं उत्पाद)

क्र0 सं0	जिला का नाम	नीलाम पत्रवाद न्यायालय का नाम	दायर नीलाम वादों की सं0	नीलाम पत्र वाद में सन्निहित राशि	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	9
1	सहरसा	जिला पंचायतराज पदाधिकारी-सह-नीलाम पत्र पदाधिकारी, सहरसा।	03	3516534	
2	मधेपुरा	जिला नीलाम पत्र पदाधिकारी, मधेपुरा।	95	5010947	
3	सुपौल	जिला नीलाम पत्र पदाधिकारी, सुपौल।	06	3160637	

सभी जिलो का मद्य निषेध एवं उत्पाद से संबंधित नीलाम पत्रवाद का प्रतिवेदन शून्य है। समाहर्त्ता, सहरसा, मधेपुरा एवं सुपौल को निदेश दिया जाता है कि इसकी समीक्षा कर ली जाय।

15. नीलाम पत्रवाद (समेकित)

(राशि लाख में)

क्र0	जिला	कुल वार्षिक लक्ष्य	इस माह तक का लक्ष्य	इस माह तक की उपलब्धि	इस माह तक लक्ष्य के विरूद्ध उपलब्धि का प्रतिशत	वार्षिक लक्ष्य के विरूद्ध उपलब्धि का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1	सहरसा	19240.00		2.80		0.015
2	मधेपुरा	29210.00		52.96		0.18
3	सुपौल	27122.00		1.05		0.004

सहरसा, मधेपुरा एवं सुपौल जिला में वार्षिक लक्ष्य के विरूद्ध उपलब्धि का प्रतिशत काफी खराब है। राजस्व पर्षद के निदेशों का कोई असर नहीं है। नीलाम पत्रवाद की प्रमंडल स्तर पर की गई समीक्षा बैठक के बाद सभी बिन्दुओं पर विस्तृत निदेश दिया गया है। किन्तु फलाफल शून्य है। सभी जिला नीलाम पत्र पदाधिकारी से इस संबंध में स्पष्टीकरण देने का निदेश दिया जाता है।

16. राजस्व एवं भूमि सुधार विभागः-

इस विभाग के कार्यो की बिन्दुवार समीक्षा की गई। यह पाया गया कि काफी बड़ी संख्या में मामले लंबित हैं। सभी अपर समाहर्त्ता से अपेक्षित है कि नियमित रूप से विभागीय पोर्टल पर जिला एवं अंचल के कार्यो की जानकारी प्राप्त करते हुए कार्यों को Up to date रखें इस संबंध में विभागयी स्तर पर भी हाल के दिनों में सख्त निदेश प्राप्त हुए हैं। कई मामलों में यह पाया गया है कि अंचल अधिकारी द्वारा अनावश्यक रूप से मामले को लॉगिन में लंबित रखा जाता है। तथा काफी मात्रा में शिकायतें विभिन्न स्तरों पर प्राप्त होता है। अतः अपर समहर्त्ता तथा सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता प्रत्येक सप्ताह लंबित कार्यो की समीक्षा करेंगे। जिसके मुख्य बिन्दु निम्नानुसार हैं -

- Mutation Defect Check Application Status.
- Average Time taken to Dispose Mutation Application.
- Online Mutation.
- Parimarjan Plus (For Digitized Jamabandi).
- Parimarjan Plus (For Left out Jamabandi).
- Emapi.
- Abhiyan Basera – 2
- Govt. Land Verification Report.
- Maha Abhiyan Application Received Status.
- Public Grievance.
- DCLR RCMS : BLDRA.
- DCLR RCMS : Mutation Appeal.
- ADM RCMS : Mutation Revision.
- ADM RCMS : Jamabandi Cancellation.
- Pending Revenue Court Cases.
- भूमी समाधान पोर्टल पर मामलों के संबंध में कार्यवाही की गुणवत्ता।

सरकारी भूमि की पहचान एवं संरक्षण के महत्व को रेखांकित करते हुए निम्न विहित प्रपत्र में सूचना उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया-

<u>सरकारी जमीन पर निजी व्यक्तियों के नाम से जमाबंदी रद्दीकरण की प्रगति।</u>

क्र0सं0	जिला का नाम	अंचल का नाम	कुल मामलों की सं0 जिसमें सरकारी जमीन पर निजी व्यक्तियों के नाम से जमाबंदी निर्गत है।	अंचल अधिकारी द्वारा अपर समाहर्त्ता के पास सरकारी जमीन के जमाबंदी रद्दीकरण का कितना प्रस्ताव भेजा गया	अपर समाहर्त्ता के द्वारा सरकारी जमीन के जमाबंदी रद्दीकरण के संबंध में की गयी करवाई			अभियुक्ति (विगत दो माह से अधिक समय से लंबित अंचल का नाम)
					निष्पादित	लंबित	विगत दो माह से अधिक समय से लंबित	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	सहरसा	**सभी अंचल**	**38**	**13**	**7**	**6**	**6**	**कहरा-1, नौहट्टा-1, सत्तरकटैया-2, सौरबाजार-1, बनमा ईटहरी-1**
2	मधेपुरा		**49**	**49**	**27**	**22**	**22**	**मधेपुरा-6, सिंहेश्वर-4, मुरलीगंज-2, गम्हरिया-1, कुमारखंड-3, घैलाढ़-2, पुरैनी-1 आलमनगर-1, बिहारीगंज-2**
3	सुपौल		**48**	**48**	**14**	**34**	**34**	**सुपौल-3, पिपरा-1, किशनपुर-4, त्रिवेणीगंज-4, छातापुर-2, बसंतपुर-2, राघोपुर-3, निर्मली-1, मरौना-14**

अधोहस्ताक्षरी द्वारा समय-समय पर इस मामलों की समीक्षा की जायेगी।

<u>राजस्व एवं आंतरिक संसाधन के विभागों के विस्तृत समीक्षोपरांत निम्नांकित निदेश दिया जाता है :-</u>

1. वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप माह जनवरी-2026 तक न्यूनतम 85% उपलब्धि सुनिश्चित किया जाए। इस हेतु सभी विभागीय पदाधिकारी पूरी गंभीरता के साथ कार्य करेंगे।

2. विभागीय स्तर से प्राप्त सभी लंबित मामलों का स्वयं समीक्षा/अनुश्रवण कर शीघ्र निस्तारण किया जाए।

3. रिट याचिका में पारित अंतिम आदेशों का समयबद्ध रूप से अनुपालन किया जाए। अवमानना वाद के मामलों में आदेश का अनुपालन करते हुए पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर कारण पृच्छा दायर किया जाए।

4. विभागीय कार्यवाही का समयबद्ध निस्तार किया जाय। 6 माह से अधिक लंबित विभागीय कार्यवाही का प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थापित किया जाए।

5. सामान्य प्रशासन विभाग, विधान सभा, विधान परिषद आदि से प्राप्त पत्रों का शीघ्र अनुपालन किया जाए।

6. केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के मुख्य परियोजनाओं यथा-National Expressway, NH HIGHWAY, रेलवे, मेडिकल कॉलेज, स्टेडियम, पंचायत सरकार भवन आदि के संदर्भ में भू-अर्जन/भूमि उपलब्धता कराने की कार्रवाई को प्राथमिकता के आधार पर किया जाय। निर्माणाधीन महत्वपूर्ण संस्थानों तक सड़क का सुदृढ़ीकरण आवश्यकतानुसार किया जाय। यदि किसी मामले में माननीय उच्च न्यायालय अथवा अन्य किसी स्तर से कोई बंधेज की स्थिति हो तो अलग से अधोहस्ताक्षरी से चर्चा कर समाधान हेतु त्वरित कार्रवाई की जाय।

7. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के दिशा निदेशों के अनुसार सैरातों के सुरक्षित जमा निर्धारण/सैरात की बंदोबस्ती की स्वीकृति से संबंधित सभी प्रस्ताव एवं अभिलेख चालू वित्तीय वर्ष में ससमय उपलब्ध कराया जाए। ताकि नियमानुसार यथा समय स्वीकृति की कार्रवाई की जा सके।

8. शराब बंदी कानून के तहत जप्त वाहनों की नीलामी में काफी विलंब हो रहा है जिस कारण वाहन खराब होने की संभावना रहती है। अतः संगत नियमानुसार त्वरित कार्रवाई की जाय। जप्त शराब की विनिष्टीकरण समयबद्ध रूप से की जाय। शराबबंदी कानून के तहत दर्ज वादों में सही अनुसंधान एवं मान्य साक्ष्यों के साथ समुचित रूप से चार्ज शीट न्यायालय में दाखिल किया जाए। ताकि त्वरित रूप से अनुवर्ती कानूनी कार्रवाई हो सके।

9. भू-अर्जन की कार्रवाई में जिला भू-अर्जन कार्यालय में विलंब किया जाता है। जिला पदाधिकारी इस पर ध्यान देंगे। साथ ही अभिलेखागार कार्यालय में भी आम जनता को काफी परेशानी होती है। इस पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

10. जिला भू-अर्जन पदाधिकारी परियोजना-वार पंचाट निर्गत होने के बाद रैयतों का भुगतान के संबंध में सभी आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

11. राजस्व महाअभियान में आये आवेदनों को पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित किया जाय एवं क्रमिक रूप से इसका निस्तार किया जाय।

12. सरकारी जमीन की विवरणी पोर्टल पर अपलोड करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। जिन मामलों में सरकारी जमीन की जमाबंदी किसी निजी रैयतों के नाम करा ली गयी है, ऐसे मामलों में अंचल अधिकारी प्रस्ताव बनाकर अपर समाहर्त्ता को भेजेंगे। अपर समाहर्त्ता एक माह के अंदर जमाबंदी रद्दीकरण की कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

13. नीलाम पत्रवाद के संबंध में वर्ष 2005 से पूर्व के मामलों का निष्पादन एक माह के अंदर त्वरित रूप से किया जाय। एक करोड़ से अधिक राशि के मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निरस्तार किया जाय।

14. प्रमंडल अंतर्गत बंदोबस्ती कार्यों की समीक्षा में पाया गया कि बंदोबस्ती कार्यालय को अंचल के स्तर से सभी सरकारी जमीन तथा विभिन्न बंदोबस्ती पर्चा की विवरणी उपलब्ध नहीं रहने के कारण खतियान तैयार करने में कठिनाई हो रही है। सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता को 15 दिनों के अंदर उपरोक्त सभी विवरणी संबंधित बंदोबस्ती कार्यालय को उपलब्ध कराने का निदेश दिया जाता है। इसी प्रकार सभी विवरणी कार्यालय से भी अपेक्षित है कि अपने कार्यालय भवन एवं परिसंपत्ति की विवरणी संबंधित बंदोबस्त कार्यालय को उपलब्ध करा दी जाय।

15. विभिन्न जिला निबंधन कार्यालय में अंचल से भेजे गये Sale deed सत्यापन की समीक्षा की गयी। इस संबंध में कई मामले अंचल कार्यालय में लंबित है। सभी जिला अवर निबंधक को निदेश दिया जाता है कि अधिकतम दो सप्ताह के अंदर Sale deed का सत्यापन करते हुए संबंधी अंचल कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करें।

16. सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता को निदेश दिया जाता है कि हर माह अपने अधीनस्थ अंचल कार्यालय का निरीक्षण करेंगे। जिस जिले में भू-सुधार जन कल्याण कार्यक्रम हुए है वहाँ आये परिवाद के आधार पर अंचल कार्यालय का निरीक्षण करेंगे।

17. मत्स्य विभाग की समीक्षा में यह पाया गया कि अभी भी कई मत्स्यजीवी सहयोग समिति अवक्रमित है। वहाँ शीघ्र चुनाव कराने का निदेश दिया जाता है।

18. एम0जे0सी0 में रिट याचिका के Compliance करने के बाद ही प्रतिशपथ-पत्र दायर किया जाय।

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

ह0/-

आयुक्त

कोशी प्रमंडल, सहरसा

ज्ञापांक .... सहरसा, दिनांक ....

प्रतिलिपि :- निरीक्षक, माप एवं तौल, सहरसा / मधेपुरा / सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला सहकारिता पदाधिकारी, सहरसा / मधेपुरा / सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सहरसा / मधेपुरा / सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला नीलाम पत्र पदाधिकारी, सहरसा / मधेपुरा / सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला मत्स्य पदाधिकारी, सहरसा / मधेपुरा / सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला अवर निबंधक, सहरसा / मधेपुरा / सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला परिवहन पदाधिकारी, सहरसा / मधेपुरा / सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- उत्पाद अधीक्षक, सहरसा / मधेपुरा / सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- खनिज विकास पदाधिकारी, सहरसा / मधेपुरा / सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- संयुक्त आयुक्त(राज्यकर), सहरसा / मधेपुरा / सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सहायक महानिरीक्षक निबंधन, कोशी प्रमंडल, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- अपर आयुक्त (राज्यकर), कोशी प्रमंडल, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सहायक निदेशक, खनन, कोशी प्रमंडल, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- उपायुक्त उत्पाद, कोशी प्रमंडल, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- उप निदेशक, मत्स्य, कोशी प्रमंडल, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, कोशी प्रमंडल, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- उप नियंत्रक, माप एवं तौल, कोशी प्रमंडल, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सभी अनुमंडल पदाधिकारी/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, कोशी प्रमंडल, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- अपर समाहर्त्ता, सहरसा / मधेपुरा / सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- बंदोबस्त पदाधिकारी, सहरसा / मधेपुरा / सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- समाहर्त्ता, सहरसा / मधेपुरा / सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- वन संरक्षक, सहरसा अंचल, सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

आयुक्त

कोशी प्रमंडल, सहरसा

ज्ञापांक 719 सहरसा, दिनांक 31-1-2026

प्रतिलिपिः- अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

Pankaj K.
31/1/26

आयुक्त

कोशी प्रमंडल, सहरसा